अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी न किए जाएं : आयुक्त

जासं, बदायूं : राजकीय महाविद्यालय में आयोजित मोबाइल कोर्ट में आयुक्त हिमांशु शेखर झा ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर आयुक्त ने अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगजनों को अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनका पुनः परीक्षण कर स्थाई प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें दिव्यांगजनों को उनका हक मिले।

जिले में दिव्यांगों को अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। मंगलवार को आयुक्त ने दिव्यांगजन राजकीय महाविद्यालय में मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना। इस दौरान 180 दिव्यांगजनों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिनमें पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवास, अंत्योदय राशन कार्ड और सहायक उपकरणों की मांग शामिल थी। आयुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिए। गांव मोहकमपुर के निवासी सुनील ने भूमि संबंधी मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को निस्तारण के निर्देश दिए गए। एक मूक-बधिर दिव्यांगजन के मामले में आयुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि वह प्रार्थी का बेरा टेस्ट करवाएं। आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। राज्य उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र सोनकर, विधि अधिकारी उत्कृष्ट द्विवेदी, सीडीओ केशव कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. रामेश्वर मिश्र, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी प्रणव पाठक मौजूद रहे।

दीप प्रज्जवलित कर दिव्यांगजन के लिए मोबाइल कोर्ट की शुरुआत करते आयुक्त हिमांशु शेखर झा व अन्य अधिकारी • सौजन्य सूचना विभाग

अंबियापुर में वादों का निस्तारण करते न्यायाधीश अर्जित वर्मा • जागरण

अंबियापुर मोबाइल कोर्ट में छह वादों का निस्तारण

जासं, बदायूं : ग्राम न्यायालय बिल्सी के अंतर्गत मंगलवार को पंचायत भवन अंबियापुर में मोबाइल कोर्ट (चल न्यायालय) का आयोजन किया गया। अध्यक्षता न्यायाधीश अर्जित वर्मा ने की। मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य उन नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराना है, जो भौगोलिक, शारीरिक या आर्थिक कारणों से नियमित न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते। न्यायाधीश ने बताया कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत चल न्यायालयों की यह पहल ग्रामीण न्यायिक सुलभता को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कुल छह वादों की सुनवाई की गई, जिनमें से अधिकांश मामलों का निस्तारण पक्षकारों के बीच आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर किया गया। कुछ मामलों में आरोपितों ने स्वयं पर लगे आरोपों को स्वीकार किया, जिस पर न्यायालय ने तत्परता से निर्णय सुनाया।

मंदिर की विशेषता : सिद्धि श्री सर्वेश्वर धाम मंदिर [illegible] बना हुआ है। मंदिर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित है। शिव परिवार [illegible] माँ दुर्गा, भगवान गणेश, नंदी, मां काली की मूर्ति [illegible] है। मंदिर में बसंत पंचमी पर्व, गुरु पूर्णिमा पर्व [illegible] श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि पर्व बड़े धूमधाम से [illegible] है। सावन, महाशिवरात्रि और नवरात्र के दिनों [illegible] विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में नियमित अन्न [illegible] होता है। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है।

सिद्धि श्री सर्वेश्वर धाम मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर में नियमित पूजा अर्चना होती है। बसंत पंचमी के पर्व के साथ अन्य पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। सुबह शाम आरती होती है। – डा. सोहनपाल, महंत।

सिद्धि श्री सर्वेश्वर धाम मंदिर श्रद्धालु नियमित जलाभिषेक [illegible] मातृशक्ति [illegible] के द्वारा [illegible] कीर्तन [illegible] श्रद्धालुओं [illegible] मनोकामना पूर्ण होने पर विभिन्न पर्वों पर यज्ञ और भंडारा आदि कराया जाता है। – सौरभ पाल, भक्त।

दिव्यांगजनों को मिले हक, अधिकारी करें सुनिश्चित

जासं, बदायूं : राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा ने मंगलवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राज्य उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र सोनकर और जिले के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दिव्यांगजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने पर जोर दिया गया। राज्य आयुक्त ने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि जनपद स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 03 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस पर पुरस्कारों के लिए आवेदन करवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आग्रह किया कि दिव्यांगजनों के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में चिकित्सकों की संख्या को एक से बढ़ाकर कम से कम दो किया जाए। मेडिकल बोर्ड सप्ताह में एक दिन के बजाय कम से कम दो दिन कार्यरत रहे।

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com

राजकीय महाविद्यालय में सुबह 10 से शाम चार बजे लगा कोर्ट, शिकायतों को राज्य आयुक्त ने दिए हल कराने के निर्देश

दिव्यांगों की समस्या पर अफसर नहीं गंभीर, यह गलत : आयुक्त

निर्देश

बदायूं, संवाददाता। राजकीय महाविद्यालय आवास विकास के सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन हुआ। मोबाइल कोर्ट में 180 दिव्यांगजनों ने अपने समस्याएं रखी। जिसमें आवास, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि शिकायतें शामिल थीं। सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान शिकायतों को गंभीरता से न लेने पर राज्य आयुक्त ने अधिकारियों से नाराजगी भी जताई और कार्य व्यवहार में बदलाव लाने की हिदायत दी।

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा ने पूर्व में जारी अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को निरस्त करते हुए पुनः परीक्षण कर नियमानुसार पात्रों को स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने व भविष्य में अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी न करने के निर्देश दिए। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के समक्ष 180 दिव्यांगजनों ने पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवास, अंत्योदय राशन कार्ड, सहायक उपकरणों की मांग आदि से संबंधित अपनी समस्याएं व शिकायतें रखीं, जिनके त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए। सुनील पुत्र सुरेंद्र पाल निवासी मोहकमपुर थाना फैजगंज वेहटा के भूमि संबंधी मामले में एसपी देहात को निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं मूक-बधिर दिव्यांगजन के एक प्रकरण में सीएमओ को निर्देशित किया गया कि वह सीएमओ शाहजहांपुर से संपर्क कर पीड़ित का टेस्ट करवाएं।

एसीएमओ की लगाई क्लास : दिव्यांग शांति ने राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को बताया कि उनका पैर पूरी तरह खराब है। वह चलने में पूरी तरह असमर्थ है। बोर्ड ने उनका 40 फीसदी का ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया। मामले की गंभीरता से लेते हुए राज्य आयुक्त ने एसीएमओ को तलब कर लापरवाही पर उनसे नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि महिला की दोबारा जांच वास्तविक स्थिति के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करें।

आवास विकास स्थित राजकीय महाविद्यालय में आयोजित मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों की शिकायतों को सुनते राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, सीडीओ, एसपी देहात व अन्य अधिकारी।

ये अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर राज्य उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र सोनकर, सीडीओ केशव कुमार, सीएमओ डॉ रामेश्वर मिश्रा, विधि अधिकारी उत्कृष्ट द्विवेदी, एसपी देहात डॉ. केके सरोज, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी प्रणव पाठक सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

राजकीय महाविद्यालय में आयोजित मोबाइल कोर्ट में मौजूद दिव्यांगजन व अधिकारी।

सात नहीं अब 21 तरीके के दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनते : हिमांशु

बदायूं। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा ने कहा, दिव्यांगजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने व उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कहा। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों ने देश का मान बढ़ाया है। पैरा ओलंपिक में ओलंपिक से ज्यादा मेडल जीतकर दिव्यांगजनों ने देश का गौरवान्वित किया है। सात की जगह अब बदायूं जिले में भी 21 तरह के प्रमाणपत्र बनना चाहिये। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राज्य उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र सोनकर व जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। सीडीओ से कहा जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए किए गए बेहतरीन कार्य को समाहित करते हुए प्रत्येक वर्ष तीन दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए वह आवेदन करवाएं। राज्य उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेन्द्र सोनकर ने सीएमओ से कहा कि 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

हत्या के गवाह पर जानलेवा हमला, दो पर मुकदमा दर्ज

अलापुर। साल 2020 में हुए हत्या के एक मुकदमे में मुख्य गवाह पर जानलेवा हमला करने के मामले में अलापुर थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि मुकदमे में गवाही देने से इंकार करने पर आरोपियों ने उसके ऊपर तमंचे से फायर झोंका, हालांकि वह बाल-बाल बच गया।

मामला ककराला कस्बे के वार्ड नंबर 17 का है। वहां के रहने वाले नाजिम पुत्र जाफर ने दी तहरीर में कहा कि उसके भाई साजिम की वर्ष 2020 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में पड़ोसी अब्दुल हक और वाहिद पुत्रगण अन्ने खां आरोपी हैं। नाजिम ने बताया कि वह इस केस का मुख्य गवाह है और आरोपी उस पर गवाही न देने के लिए दबाव बना रहे हैं। 28 जुलाई की रात करीब 9 बजे जब वह घर के बाहर बैठा था, तभी आरोपी दोनों भाई वहां आए और गालियां देते हुए धमकी देने लगे। विरोध करने पर अब्दुल हक ने तमंचे से सीधा फायर कर दिया, जो चूक गया। इसके बाद दोनों जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अब्दुल हक व वाहिद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने बताया कि कल फायरिंग की घटना हुई थी। जिसके को लेकर नाजिम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नाराजगी के बाद दिव्यांग बोर्ड भंग

पकड़ी मनमानी

- दिव्यांग कोर्ट में पहुंचे आयुक्त के सामने शिकायतों की मरमार
- नाराज हुये आयुक्त ने बोर्ड में तैनात डाक्टरों को दिये आदेश

बदायूं, प्रमुख संवाददाता। दिव्यांगों के साथ उनकी सहूलियत के लिये बनाये गये बोर्ड ही नाईसाफी करता आ रहा था। एक दो नहीं कई मामले पकड़े में आने और राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की नाराजगी के बाद सीएमओ ने आननफानन में दिव्यांग बोर्ड को भंग करते हुये उसके स्थान पर नया बोर्ड बनाया। पिछले एक साल में जारी किये गये प्रमाणपत्रों की जांच भी की जायेगी।

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमाशु शेखर झा ने बदायूं में मोबाइल कोर्ट लगाई। जिसमें एक के बाद एक दिव्यांगजनों ने दिव्यांग बोर्ड की शिकायतों के अंबार लगा दिये। कुछ दिव्यांगों ने अपनी अवस्था दिखाई और बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। जिसको देखकर राज्य आयुक्त ने भी बोर्ड की कार्यशैली पर न केवल अचरज जताया बल्कि नाराजगी जताते हुये स्वास्थ्य अधिकारियों को चेताया। जिसके बाद हड़बड़ाये स्वास्थ्य विभाग ने आननफानन में लंबे समय से संचालित हो रहे दिव्यांग बोर्ड को भंग कर दिया। भंग किये गये दिव्यांग बोर्ड की टीम में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. रियाज अहमद, नेत्र रोग विशेषक डॉ. पीयूष मोहन अगवाल, डॉ. केके जौहरी और मनोचिकित्सक डॉ. नरवीर सिंह यादव थे।

सीएमओ डॉ. रामेश्वर मिश्रा ने नये बोर्ड में जिला अस्पताल के ईएनटी डॉ. एमए सिद्दीकी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. हरीश राजपूत, नेत्र रोग विशेषक डॉ. कुशलपाल सिंह व मेडिकल कालेज में तैनात मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. नरवीर सिंह यादव के शामिल किया। डॉ. नरवीर सिंह यादव को दोबारा इसलिये शामिल किया, क्योंकि जिले में दूसरा कोई भी मनोरोग विशेषज्ञ नहीं है।

हर सोमवार को बैठेगा दिव्यांग बोर्ड

नया दिव्यांग बोर्ड हर सोमवार को अस्पताल में बैठकर यहां आये दिव्यांगों के आवेदनों की जांच के साथ साथ उनकी जांच करेगा और दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने को चेताया गया है। इसका कारण साफ है, अब राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की नजर में बदायूं का दिव्यांग बोर्ड आ गया है।

बोर्ड 5 साल से ज्यादा समय से था सक्रिय

नियम है, तीन साल में दिव्यांग बोर्ड के नये पैनल का गठन किया जाना जरूरी है। यहां पर भंग किये जाने से पहले तक बोर्ड पांच साल से लगातार सक्रिय था। इस पर सीएमओ ने कभी नजर नहीं डाली। जब आयुक्त ने इस मामले का पकड़ा तो हड़बड़ाये सीएमओ ने आननफानन में बोर्ड के भंग कर नया बोर्ड बनाया।

चोरी को आए चोरों में से एक पकड़ा

मूसाझाग। सराय पिपरिया गांव में मंगलवार रात करीब नौ बजे पांच संदिग्ध चोर गांव में घुस आए लेकिन पहले से जाग रहे चौकन्ने ग्रामीणों ने शोर मचाकर उन्हें दौड़ा लिया।

घटना के दौरान एक चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जबकि उसके चार साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़े गए चोर की गांव वालों ने जमकर धुनाई कर दी। बाद में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्याम बहादुर राठौर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपी सौंप दिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है।

NICDC
एनआईसीडी
पदों हेतु आ
क. सं.
1.
2.
अधिक जि
तथा ww
पर 11.0
सकते है